अध्याय 9

लोकतंत्र और समानता

समानता का एक अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी आवश्यकता का ध्यान रखते हुए समान व्यवहार करना और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर उपलब्ध करवाना। 'समानता' लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। हमारे संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सरकार व्यक्ति को कानून के सामने समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का शासन कहते हैं।

'कानून का शासन' किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अन्तर नहीं किया जा सकता।

लोकतंत्र के विभिन्न घटकों में (i) अपने प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार 'राजनीतिक लोकतंत्र' है। (ii) व्यवसाय व उपभोग की स्वतंत्रता 'आर्थिक लोकतंत्र' है। (iii) व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 'सामाजिक लोकतंत्र' है। समाज में समानता स्थापित करने के लिए केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, अपितु आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र आना चाहिए। किसी एक क्षेत्र में लोकतंत्र का अभाव दूसरे क्षेत्र में लोकतंत्र को नहीं पनपने देता। भारतीय संस्कृति की अवधारणा यह भी है कि समानता के साथ–साथ मनुष्यों में परस्पर एकता और अपनापन भी होना चाहिए।

समानता एवं भारतीय संविधान

भारतीय संविधान सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का निर्देश देता है। भारतीय संविधान ने समानता के अधिकार को इस प्रकार स्पष्ट किया है–

1. सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म–स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती।

2. दुकान, सिनेमाघर और होटल जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता।
3. सार्वजनिक कुएँ, तालाब, स्नानागार, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है।
4. सरकार में किसी भी पद पर नियुक्ति या नौकरी में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म–स्थल के आधार पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
5. संविधान सामाजिक भेदभाव के एक रूप– छुआछूत या अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए सरकार को निर्देश देता है। सरकार ने किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार देते हुए इसे एक दण्डनीय अपराध करार दिया है।
6. किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म आदि के आधार पर प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता।
7. सरकार समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बना सकती है और न ही कोई ऐसा फैसला ले सकती है। कोई नागरिक या संस्था या फिर स्वयं सरकार भी यदि व्यक्ति के इस अधिकार का उल्लंघन करती है, तो वह व्यक्ति अदालत के जरिए उसे रोक सकता है। जब मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो, तो ऐसे मामलों को लेकर कोई भी व्यक्ति 'जनहित याचिका' के माध्यम से अदालत में मामले को उठा सकता है।

मताधिकार की समानता

भारत जैसे लोकतंत्रीय देश में सभी वयस्कों अर्थात् 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिकों को मत (वोट) देने का, अर्थात् सरकार चुनने का अधिकार है ; चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर, चाहे स्त्री हो या पुरुष। हर एक को मत देने का अधिकार है। सबके मत की कीमत समान होती है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह लोकतंत्र का आवष्यक पहलू है।

गतिविधि :

आपके क्षेत्र के मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) से मतदान दिवस के बारे में चर्चा कीजिए।

पंथ निरपेक्षता और समानता

भारत में कोई भी धर्म या पंथ राजकीय धर्म या पंथ के रूप में मान्य नहीं है, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ व्यक्ति अपने मत के अनुसार जीवन व्यापन करते हैं। प्रत्येक को अपने धर्म या पंथ के पालन की स्वतंत्रता है। सरकार सभी धर्मों या पंथों को बराबर का सम्मान देती है। परन्तु भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संस्कृति एवं विशिष्टताओं को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। वे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए अपने शैक्षिक–संस्थान स्थापित कर सकते हैं।

नीति निदेशक तत्व और समानता

संविधान सरकार को निर्देशित करता है कि वह आर्थिक न्याय और अवसर की समानता स्थापित करने के लिए कार्य करे। सरकार आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करे। वह व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कानूनी प्रावधानों के साथ–साथ ही सरकार अनेक योजनाएँ व कार्यक्रम चला रही है।

> **गतिविधि :**
> आपके क्षेत्र में आयोजित होने वाले मेले किस प्रकार सामाजिक समानता एवं समरसता को बढ़ाते हैं, शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए।

आरक्षण व समानता

अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण के पीछे उद्देश्य यह है कि समाज के वंचित व पिछड़े वर्गों को विकास के विशेष अवसर देकर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के द्वारा उन्हें समाज की मुख्य धारा में बराबरी की स्थिति में लाना।

सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं में महिला, वंचित वर्ग, गरीब और 'अन्यथा सक्षम लोगों' (विशेष योग्यजनों) को प्राथमिकता देती है। संसद और विधानसभाओं में कुछ पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। स्थानीय निकायों में तो महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी पद आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में भी इन सभी वर्गों के लिए पद आरक्षित हैं। लोक कल्याण के लिए तथा समानता स्थापित करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि ये लाभ अति जरूरतमंद व्यक्तियों तक अवश्य पहुँचे।

भारत की छः दशकों से अधिक की लोकतांत्रिक यात्रा का परिणाम ही है कि समाज के वे समूह जो दीर्घकाल से पिछड़े हुए थे, उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। हर क्षेत्र में सभी वर्गों की सहभागिता बढ़ रही है। समतामूलक और न्यायप्रिय समाज की स्थापना के लिए अभी और प्रयासों की आवश्यकता है, जिसका अवसर लोकतंत्र ही प्रदान करता है।

शब्दावली

जनहित याचिका – न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े हुए विषय का प्रार्थना–पत्र

समतामूलक और न्यायप्रिय समाज–ऐसा समाज जिसके सभी वर्गों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता स्थापित हो।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –
   (i) लोकतंत्र बढ़ावा देता है –
   (अ) असमानता को (ब) समानता को
   (स) विशेषाधिकारों को (द) भेदभाव को ( )
   (ii) मत देने का अधिकार है –
   (अ) अमीर को (ब) पुरुष को
   (स) पढ़े–लिखे को (द) सभी वयस्क नागरिकों को ( )

2 स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए–

	स्तम्भ 'अ'	**स्तम्भ 'ब'**
(i)	अपने प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार	आर्थिक लोकतंत्र
(ii)	व्यवसाय व उपभोग की स्वतंत्रता	सामाजिक लोकतंत्र
(iii)	व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता	राजनीतिक लोकतंत्र

3. 'कानून के शासन' से क्या तात्पर्य है?
4. 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' किसे कहते हैं?
5. 'पंथ निरपेक्षता'क्या है?
6. भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को किस प्रकार स्पष्ट किया गया है?